



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 232 राँची, मंगलवार,

20 मई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

शुद्धि पत्र

24 अप्रैल, 2025

संख्या-1/विविध-808/2006 का.-2346--विभागीय अधिसूचना संख्या-2290 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को निजी व्यय पर सिंगापुर (विदेश) की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है तथा अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10.11.12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक कुल 05 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति, दिनांक 01.06.2025 के साप्ताहिक अवकाश (Prifix) एवं दिनांक 07.06.2025 से 08.06.2025 के शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश (Suffix) तथा दिनांक 31.05.2025 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है के स्थान पर -

श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को-

- (क) निजी व्यय पर दिनांक 01.06.2025 से 06.06.2025 तक सिंगापुर (विदेश) की यात्रा की अनुमति तथा
- (ख) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक कुल 05 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति, दिनांक 01.06.2025 के साप्ताहिक अवकाश (Prifix) एवं दिनांक 07.06.2025 से 08.06.2025 के शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश (Suffix) तथा दिनांक 31.05.2025 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
